<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 33/2019 राजस्व अपील

1. खैरातीलाल पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी ग्राम लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. चिरंजी
2. गंगाबिशन } पिसरान लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्या
3. रामहंस
4. महेन्द्र
5. सुरेन्द्र } पिसरान गंगाबिशन

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान भटपुरा लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

<u>(अपील विरूद्व आदेश प्रकरण सं0 2/2017, तहसीलदार बसवा दिनांक 22.1.19 जैर दफा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी प्रकरण खैराती बनाम चिरंजीलाल वगै0</u>

उपस्थिति : श्री ऋषभ देव जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 5 उपस्थित।

<u>:— निर्णय :—</u> दिनांक: 09.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दफा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा में इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति बैरवा वर्ग से है तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 गैर अनुसूचित जाति के गुर्जर समाज से है जिन्होने प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लीलोज पटवार हल्का नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी सं0 नई 22 पुरानी 21 , ख0नं0 15 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 18 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 22 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 23 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 24 रकबा 0.02 है0 , ख0नं0 29 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 390 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 391 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.30 है0, कुल किता 9 रकबा 1.85 है0 स्थित है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 390 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 391 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 वाके राम लीलोज तहसील बसवा जो कि सड़क के पास स्थित है, जाकि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है, जो कि उसके मृतक पिता रामहेत पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी लीलोज के नाम खातेदारी थी, तथा उसके पिता की मृत्यु 03.8.1998 को पश्चात प्रार्थी के नाम विरासत नामान्तरकरण सं0 6 दिनांक 15.9.1998 को दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रार्थी अपने पिता के समय से ही भूमि मुतदाविया का उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण एक लगायत 5 ने बिना किसी विधिक अधिकारी के दिनांक 08.5.2017 को भूमि मुतदाविया खसरा नं0 390, 391, 395 पर अतिक्रमण करके अवैध कब्जा कर प्रार्थी को बल प्रयोग करके मौके से भगा दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बेदखल करवाकर उस पर कब्जा लेने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अधीन न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगाई जाकर अप्रार्थीगण को तलब फरमाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:23:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा इसके बाद साक्ष्य सबूत बाबत न्यायालय द्वारा तारीख पेशी मुकर्रर की, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी द्वारा उसका जवाब प्रस्तुत कर बहस की गई। बाद बहस तत्कालीन तहसीलदार बसवा एपीओ हो गए। जिसके बाद नव पदस्थापित तहसीलदार द्वारा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 22.1.2019 अप्रार्थीगण को अन्तिम मौका देते हुए बहस बाबत तारीख पेशी मुकर्रर की गई। लेकिन तहसीलदार बसवा ने मीटिंग में होने कारण किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की तथा दूसरे दिन प्रार्थी का पुत्र पत्रावली पर तारीख पेशी लेने गया तब तहसीलदार बसवा ने प्रार्थी के पुत्र से खाली आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाकर अवैध आदेश पारित कर दिया की उक्त पत्रावली को माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में दीगर मुकदमा की निगरानी प्रार्थी द्वारा करने पर वहां से मौके एवं रिकॉर्ड की यथावत स्थिति के आदेश जारी हुए है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली पर माननीय रेवेन्यू बोर्ड के आदेशानुसार किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती है तथा अस्थाई निषेघाज्ञा के बाद ही पत्रावली रि–ओपन की जावेगी। उक्त आदेश दिनांक 22.01.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की तहसीलदार बसवा के समक्ष अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगा. 05 के विरूद्ध धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। न्यायालय तहसीलदार बसवा ने प्रकरण विचाराधीन रहते हुए, अप्रार्थीगण सं. 01 लगा. 05 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 धारा 151 जा.दी. दिनांक 28.05.2018 को पेश किया गया। जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.06.2018 को पेश किया गया। तहसीलदार बसवा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.01.2019 में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का पत्र दिनांक 2.8.18 की प्रति पेश किया जाना जिसके मुताबिक माननीय मण्डल द्वारा एक उनवानी प्रकरण खैरातीलाल पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी बसवा बनाम चिरंजी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी लीलोज में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के मु.न. 28/18 निर्णय दिनांक 17.5.2018 के संबंध में पत्रावली को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मंगवाया गया है एवं राजस्व मण्डल के आदेशिका दिनांक 20.6.2018 के मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खैरातीलाल बनाम चिरंजीलाल प्रकरण संख्या 4308/18 में यह आदेश पारित किये गये है कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये जाते है कि आज से मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की मण्डल की नियत दिनांक तक यथास्थिति रखी जाती है। माननीय मण्डल ने जो टी.आई. प्रार्थना पत्र पर आदेश जारी किये है वह सायल एवं गैरसायल दोनो पर समान रूप से जारी किये है। अतः उक्त आदेश प्रभावी होने की स्थिति में वर्तमान प्रकरण 183 बी प्रकरण सं. 02/2017 का निस्तारण करना अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा के मध्यनजर सुनवाई करना एवं निर्णय प्रदान करना माननीय राजस्व मण्डल की अवहेलना होगी। अतः प्रकरण माननीय मण्डल में निगरानी में टी.आई. प्रभावी रहने तक पत्रावली लम्बित की जाती है। सायल एवं गैर सायल को इस तथ्य से अवगत करवाया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी नही हो तो इस न्यायालय को अवगत करावे ताकि प्रकरण को रि–ओपन कर सुनवाई पुनः नम्बर पर लिया जा सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:23:00 IST
Reason: Self Attested

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के पारित आदेश अवैध व बिना किसी विधिक आधार के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज की अवहेलना करके अपनी मन–मर्जी से अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली में दिनांक 22.1.2019 को वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आर्डर 07 नियम 11 धारा 151 जा.दी. बाबत मुकर्रर की गई थी। प्रार्थी अपीलान्ट के वर वक्त बहस पूर्व में प्रार्थना पत्र आर्डर 07 नियम 11 धारा 151 जा.दी. के समय माननीय रेवेन्यू बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पारि निर्णय उनवान तेज मोहम्मद एण्ड अदर्स बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदर्स एस.बी. सिविल रिट पीटिशन 286/2016 निर्णय दिनांक 27.4.2016 को उपस्थिति किया था। उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र 183 बी की सुनवाई को स्थगित नही करने बाबत आदेश पारित हुए थे। उक्त नजीर पत्रावली पर उपलब्ध थी। जिसका अवलोकन करे बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा उक्त अवैध आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण में सुनवाई करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगा. 05 द्वारा निवेदन किया गया की समान पक्षकार व समान विषय–वस्तु के दो अलग–अलग मुकदमा एक साथ कानूनन विधिक रूप से वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान विषय वस्तु का प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन होना व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे स्थगन जारी होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा विधिक रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी स्थगित किया था। प्रार्थना पत्र धारा 183 बी एक संक्षिप्त प्रक्रिया है व रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वैध तरीके से जरिये इकरारनामा प्रतिफल की राशि अदा कर प्राप्त करने से रेस्पोडेन्ट अतिक्रमी नही है। धारा 183 बी सिर्फ अतिक्रमी के विरूद्ध लाई जा सकती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही होने से उक्त अपील कोई पोषणीय नही है। विवादित भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा एक वाद रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष मु.न. 140/2017 उनवानी खैरातीलाल बनाम चिरंजी वगैरा प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 117/2017 उनवानी खैरातीलाल बनाम चिरंजीलाल प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.05.2018 के राजस्व कैम्प नन्देरा में दोनो पक्षो की मौजूदगी में उप जिला कलक्टर महोदय बांदीकुई द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया है। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण का निस्तारण नियमित वाद से ही किया जाना संभव है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं एक ही विषय वस्तु पर अलग–अलग न्यायालय में कार्यवाही विधिक रूप से वर्जित होने से उक्त अपील पोषणीय नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017(1) आर.आर.टी 641 तेज मोहम्म्द बनाम राजस्व मण्डल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 इस प्रकरण में लागु नहीं होती है, क्योंकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र [illegible] की स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन में विचाराधीन वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में अपील पेश होने पर प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन में विचाराधीन रहते हुए उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2014 से स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:23:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय को निरस्त कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण कर करने हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। किन्तु इस न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये है। इसलिये तहसीलदार बसवा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा यह इस्तदुआ की गई है कि प्रकरण में राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को निर्णय पारित किया जाना था। उक्त सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन करने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र 183 बी को विधि विरूद्ध बताते हुये प्रश्नगत भूमि को जरिये इकरारनामा क्रय किया जाकर स्वयं का स्वामित्व होना प्रदर्शित किया गया है। विधि विरूद्ध होने का कोई बिन्दू उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निर्णय किये जाने पर प्रार्थना पत्र 183 बी से सम्बन्धित मूल प्रकरण ही निर्णित हो जाता। जबकि मूल प्रकरण में विवादित प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। इसलिये प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस स्तर पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के निर्णय दिनांक 17.05.2018 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्रावली मंगवाये जाना एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ख.न. 390, 391, 395 कुल किता 03 रकबा 0.92 है0 ग्राम लीलोज तहसील बसवा के संबंध में अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति बनाये जाने के आदेश पारित किये जाने पर तहसीलदार बसवा द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2019 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उभयपक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ रिकॉर्ड रूम की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:23:00 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा